फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर बनाम .....राजस्थान सरकार.....

किस्म मुकदमा – रास्तो का निराकरण मुकदमा संख्या 266 / वर्ष 2021

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 एवं 136 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख अधिनियम 1957)

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशयल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.12.2021	राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं प.3(17)राज–6 / 2021पार्ट / 91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि / निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज़ नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक राजस्व / 2020 / 3251 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा मौजा पिण्डियों का तला में निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है:–	

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	किस्म	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई –चौडाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	2	3		4	5	6
1	राजस्थान सरकार	104 / 10	गै.मु. पहाड़	3.13	409 X 20	0.09 बीघा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि तहसील क्षैत्र बाड़मेर में ऐसे सार्वजनिक रास्ते राजकीय भूमि / निजी खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थायी रूप से चालू है, परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नही है व कई जगह कच्ची पक्की सडकें भी बन गई हैं जो स्थाई सार्वजनिक रास्ते है व बारहमासी है तथा मौसम / ऋतुओं के अनुसार बदलते नही है तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध है। ऐसे रास्तों को चिन्हित कर रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन रा.भू.रा. अधि. की धारा 131 एवं 136 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख अधिनियम 1957 के नियमों के प्रावधान के तहत करने हेतु रास्ते का प्रस्ताव भिजवाया है। प्रकरण मे मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा पिण्डियों का तला पटवार मण्डल आटी तहसील एवं जिला बाड़मेर की उपरोक्त वर्णित भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो सलंग्न नक्शा में पिला रंग से दर्शाई गई है को सम्बधित खातेदार (राजस्थान सरकार) के खाते में राजस्व अभिलेख मे गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे ईजलाश मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर